



समेकित बाल संरक्षण योजना
अंतर्गत प्रखण्ड, पंचायत एवं वार्ड-स्तरीय
बाल संरक्षण समिति
के गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु दिशा-निर्देश।



राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति

अपना घर, द्वितीय तल, ललित भवन के पीछे, पुनाइचक, बेली रोड, पटना- 800 023 (बिहार)
ई-मेल: scpsbihar@gmail.com, फोन नं- 0612-2545033



बिहार सरकार

संदेश

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार, पटना

किसी भी देश की बेहतरी के लिये बच्चे उसकी प्राथमिकता होते हैं। बाल विकास की पहल के लिए सबसे पहले उनके हितों के संरक्षण के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण आवश्यक है, जो बच्चों को उपेक्षा, शोषण और दुर्व्यवहार से बचाये। इनके लिए पोषक और प्रोत्साहक माहौल बने जहां वे अपने परिवार और समाज के बीच अच्छी शिक्षा और ज्ञान अर्जित कर सकें। यही न्याय के साथ विकास का सार भी है।

बच्चों के प्रति इस नजरिये को फिर सामाजिक सरोकारों के साथ रेखांकित करना है और न सिर्फ कानूनी रूप में बल्कि सामाजिक और नैतिक कर्तव्य के रूप में भी अंगीकार करना है।

73वें संविधान संशोधन ने इन्ही मौलिक मान्यताओं को विकास का सोपान माना है और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से बाल, महिला और अभिवृच्चित संवेदी विकास के मॉडल को प्रोत्साहित किया है। बच्चों को परिवार की परिधि के बाहर भी एक संवेदनशील व जवाबदेह सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराना स्थानीय स्वशासन की आत्मा है। राज्य के गाँवों एवं वार्डों के स्तर पर 'बाल संरक्षण समिति' के गठन की अवधारणा इसी प्रस्तावना को साकार करने का और एक प्रयास है।

बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निकायों के अंतर्गत 'बाल संरक्षण समिति' का गठन किया जाना है, जो बाल विकास और संरक्षण के सामाजिक पहल का अगुआ बनेगा। बाल संरक्षण समिति के गठन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए मार्गदर्शिका का निर्माण समाज कल्याण विभाग का प्रभावी प्रयास है और इसके लिए विभाग साधुवाद का पात्र है।

मैं आम जन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं लोक सेवकों से आह्वान करता हूँ कि बाल संरक्षण समिति के गठन, पोषण एवं प्रभावी कार्य में भागीदारी करें, सहयोग दें।

(नीतीश कुमार)



बिहार सरकार

संदेश

कुमारी मंजू वर्मा
मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग समाज के अभिवृचित समुदाय तथा महिला एवं बाल अधिकारों के विकास एवं संरक्षण के निमित सक्रिय है। बाल अधिकारों के प्रोत्साहन एवं संरक्षण की दिशा में पंचायती राज एवं नगर निकायों के स्तर पर 'बाल संरक्षण समिति' के गठन का निर्णय अतिमहत्वपूर्ण है। यह न्याय के साथ विकास की ओर सरकार के संकल्प का प्रकटीकरण है।

किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध हमारा संविधान बाल विकास पर विशेष जोर देता है। बिहार सरकार संविधान की इस मूल भावना के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है और बच्चों के समग्र विकास के लिए योजना तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही बेहतर सामाजिक वातावरण के निर्माण के प्रति भी प्रयासरत् है।

बच्चे हमारी समृद्ध सांस्कृतिक-सामाजिक विरासत के सशक्त वाहक हैं और हमारे भविष्य हैं। उनके इस ऐतिहासिक दायित्व निर्वहन के लिए आवश्यक है कि हम सभी एक ऐसे सामाजिक परिवेश का निर्माण करें जो बच्चों के लिए पोषण और प्रोत्साहक हों। वे बिना किसी डर, भेदभाव के अपने सर्वांगीण विकास के अवसरों को प्राप्त करें।

इस अवसर पर मेरा बिहार वासियों से आह्वान है कि आप अपने बच्चों को उसका वाजिब हक दें और उनके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का संकल्प लें।

आइये, हम सब मिलकर बाल अधिकारों के संरक्षण की ओर एक साझा प्रयास करें।

कुमारी मंजू वर्मा
(कुमारी मंजू वर्मा)

मंत्री
समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार



बिहार सरकार

संदेश

अंजनी कुमार सिंह, भा.प्र.से.
मुख्य सचिव

बच्चे किसी भी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति होते हैं। यह अपने वर्तमान से आने वाले भविष्य की दस्तक का ज्ञान कराते हैं। इनकी समुचित देखभाल, विकास, प्यार और सुरक्षा आवश्यक है। बच्चों को विकास करने के अवसरों को देकर तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा कर के उनके सर्वांगीण विकास के लिए निवेश करते हैं।

देश में बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विविधवर्णी प्रयास हो रहे हैं। संविधान का 86वां संशोधन, जिसके तहत 6 से 14 उम्र समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार, एक महत्वपूर्ण कदम है। नीतियों, विधायिकाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से भी बच्चों के प्रति संकल्पबद्ध प्रयास की पुष्टि करते हैं तथा वे अपने अधिकारों को सही तरीके से प्राप्त कर अपनी बेहतर जिन्दगी प्राप्त करें, इस प्रयास को दर्शाते हैं। बच्चें देश के विकास के लिए क्षमतावान और उपयोगी संसाधन हैं। हमें यह याद रखना चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि केवल मजबूत, ज्ञानी और गुणी बच्चे ही देश को महान बना सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 (च) राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्वों में भी कहा गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

इसी दिशा में 'बाल संरक्षण समिति' के गठन का प्रयास एक महत्वपूर्ण पहल है और समुदाय को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक कर जवाबदेह बनाने की कोशिश है की कि वे बच्चों के समग्र विकास वातावरण तैयार करें।

बच्चे हमारे दायित्व और जिम्मेदारी हैं और हमारे सार्थक प्रयास के आकांक्षी हैं। आशा करता हूँ कि 'बाल संरक्षण समिति' का गठन और पोषण का सार्थक प्रयास एक सजग व सशक्त समाज का निर्माण करेगा।

अंजनी

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार



बिहार सरकार

संदेश

वन्दना किनी, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग

हमारा संविधान बच्चों की सुरक्षा और विकास के प्रति वचनबद्ध है, जिसके अन्तर्गत सरकार के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए विकासपरक कदम उठाये जाते हैं। एक ओर जहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, वहाँ विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखने का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

बच्चों के लिए पोषक एवं प्रोत्साहक वातावरण निर्माण के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण योजना राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के विहित प्रावधानों को लागू करने की ओर सरकार वचनबद्ध है। इसी दिशा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निकायों के स्तर पर 'बाल संरक्षण समिति' का गठन एवं पोषण बिहार सरकार का अभिनव पहल है, जहाँ समुदाय एक जिम्मेवार परिवार के रूप में बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे तथा बच्चों के प्रति माता-पिता, अभिभावक एवं परिवार के दायित्वों में विस्तार कराते हुए स्थानीय व्यवस्था को बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के दायित्वों से जोड़ेंगे। इस प्रयास को साकार रूप में देने में राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों एवं यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के परिप्रेक्ष्य में 'बाल संरक्षण समिति' की मार्गदर्शिका व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गयी है।

बच्चों के लिए सुरक्षित एवं पोषक समाज के निर्माण का संकल्प बिना जन भागीदारी के पूर्ण नहीं हो सकता है। इस प्रयास में शिक्षकों, पंचायती राज एवं नगर निकायों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संस्थाओं, बुद्धिजीवियों और नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि आप सब मिलकर बाल संरक्षण समिति के गठन एवं इसके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हम सब मिलकर सुनिश्चित कर सकें।

(वन्दना किनी)

प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

खण्ड - क पृष्ठभूमि

1. प्रस्तावना

'विकेन्द्रीकरण' और 'सुशासन' एक दूसरे के पूरक हैं। शासन की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के मॉडल को शासन का आदर्श मॉडल माना जाता है। इस मॉडल में योजना बनाने, निर्णय लेने एवं अनुश्रवण के काम में ग्राम पंचायत एवं वार्डों जैसी स्थानीय शासन की संस्थाओं के जरिए समुदाय का प्रतिनिधित्व संभव होता है। राज्य में प्रगतिशील कानूनों एवं लोगों के अनुकूल कार्यक्रमों और योजनाओं की कोई कमी नहीं है, किर भी इन कानूनों एवं योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होने के कारण लोग इन योजनाओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों को हासिल करने से वंचित रह जाते हैं। भारत के संविधान के 73वें एवं 74 वें संशोधन में ग्राम पंचायत / वार्ड कौसिल की परिकल्पना एक ऐसे फोरम एवं कार्यकारी तंत्र के रूप में की गई है, जहां स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा ताकि योजनाओं एवं कानूनों के कार्यान्वयन में नौकरशाही एवं अधोमुखी दृष्टिकोण से उत्पन्न खामियों को दूर किया जा सके। ऐसी व्यवस्था बिहार जैसे राज्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जहां की कुल आबादी का लगभग 89 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात पिछले कई दशकों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की दशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी है, परन्तु बच्चों एवं विशेषकर सामाजिक-शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों की परिस्थितियों में परिवर्तन लाने की दिशा में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सकारात्मक परिणाम आने शेष हैं। विषम सामाजिक-आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप बहुत सारे परिवारों के बच्चे खेतों में काम करने एवं अन्य कार्यों में माता-पिता की मदद करने को मजबूर होते हैं, ताकि घरेलू खर्च को पूरा करने में सहयोग हो। राज्य एवं राज्य के बाहर के शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर बच्चों का एकल पलायन जो बच्चों को कई प्रकार की विषम परिस्थितियों का शिकार होने पर विवश कर देता है, वास्तव में स्थानीय स्तर पर व्याप्त अत्यधिक गरीबी एवं सामाजिक असमानता का एक दुःखद प्रतिफल है।

ग्रामीण समुदाय में प्रचलित बाल विवाह एवं बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं की सामाजिक स्वीकृति तथा बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड एवं दुर्व्यवहार की स्वीकार्यता जैसी हानिकर सामाजिक लोकप्रथा एवं रीति-रिवाज, धार्मिक मान्यताएं एवं सांस्कृतिक परम्पराएँ बच्चों के शारीरिक, ज्ञानबोध एवं सामाजिक विकास को गंभीर नुकसान पहुँचाता है। इसलिए इन प्रचलित मान्यताओं को क्रमिक रूप से त्याग करने के लिए जहाँ एक ओर स्थानीय समुदाय एवं स्थानीय शासन की संस्थाओं को सहयोग की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर उन्हें खुद भी ऐसी प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय समुदाय के संसाधनों का परिचित्रण (मैटिंग) करने, निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण इत्यादि जैसे कार्यों में स्वतः-स्फूर्त सहभागिता हो। इन सब के अपेक्षित परिणाम के रूप में एक न्यायसंगत माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा, ताकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए संरक्षण एवं हिंसा रहित बचपन की परिकल्पना साकार हो।

जहाँ तक बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण से संबंधित सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं का प्रश्न है, तो ये शासन

* ऐसा पलायन जिसमें बच्चों के साथ उनके माता-पिता / जिम्मेवार अभिभावक नहीं हों।

'विकेन्द्रीकरण' और 'सुशासन' एक दूसरे के पूरक हैं। शासन की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के मॉडल को शासन का आदर्श मॉडल माना जाता है। इस मॉडल में योजना बनाने, निर्णय लेने एवं अनुश्रवण के काम में ग्राम पंचायत एवं वार्डों जैसी स्थानीय शासन की संस्थाओं के जरिए समुदाय का प्रतिनिधित्व संभव होता है। राज्य में प्रगतिशील कानूनों एवं लोगों के अनुकूल कार्यक्रमों और योजनाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी इन कानूनों एवं योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होने के कारण लोग इन योजनाओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों को हासिल करने से वंचित रह जाते हैं। भारत के संविधान के 73वें एवं 74 वें संशोधन में ग्राम पंचायत / वार्ड कौसिल की परिकल्पना एक ऐसे फोरम एवं कार्यकारी तंत्र के रूप में की गई है, जहां स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा ताकि योजनाओं एवं कानूनों के कार्यान्वयन में नौकरशाही एवं अधोमुखी दृष्टिकोण से उत्पन्न खामियों को दूर किया जा सके। ऐसी व्यवस्था बिहार जैसे राज्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जहां की कुल आबादी का लगभग 89 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात पिछले कई दशकों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की दशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी है, परन्तु बच्चों एवं विशेषकर सामाजिक-शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों की परिस्थितियों में परिवर्तन लाने की दिशा में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सकारात्मक परिणाम आने शेष हैं। विषम सामाजिक-आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप बहुत सारे परिवारों के बच्चे खेतों में काम करने एवं अन्य कार्यों में माता-पिता की मदद करने को मजबूर होते हैं, ताकि घरेलू खर्च को पूरा करने में सहयोग हो। राज्य एवं राज्य के बाहर के शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर बच्चों का एकल पलायन जो बच्चों को कई प्रकार की विषम परिस्थितियों का शिकार होने पर विवश कर देता है, वास्तव में स्थानीय स्तर पर व्याप्त अत्यधिक गरीबी एवं सामाजिक असमानता का एक दुःखद प्रतिफल है।

ग्रामीण समुदाय में प्रचलित बाल विवाह एवं बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं की सामाजिक स्वीकृति तथा बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड एवं दुर्व्यवहार की स्वीकार्यता जैसी हानिकर सामाजिक लोकप्रथा एवं रीति-रिवाज, धार्मिक मान्यताएं एवं सांस्कृतिक परम्पराएँ बच्चों के शारीरिक, ज्ञानबोध एवं सामाजिक विकास को गंभीर नुकसान पहुँचाता है। इसलिए इन प्रचलित मान्यताओं को क्रमिक रूप से त्याग करने के लिए जहाँ एक ओर स्थानीय समुदाय एवं स्थानीय

2. दिशा-निर्देश के उद्देश्य

बाल संरक्षण समिति के लिए यह दिशा-निर्देश निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है :

- 2.1 बाल अधिकारों के प्रति सामुदायिक जागरूकता एवं चेतना सृजित करना।
- 2.2 बच्चों के हित में माता-पिता एवं समुदाय के व्यवहारगत बदलावों को बढ़ावा देना।
- 2.3 समुदाय में बाल अधिकारों के हनन के मामलों की रिपोर्टिंग करना, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना और अगर जरूरी हो तो इसे उपयुक्त अधिकारी के पास अग्रसारित करना।
- 2.4 बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रति समुदाय में जागरूकता बढ़ाना।
- 2.5 समुदाय में विषम परिस्थिति में रह रहे बच्चों की पहचान करना एवं इन बच्चों को शामिल करते हुए बाल संरक्षण योजना तैयार करना तथा इसे जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद् तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई जैसी विधिक निकायों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु साझा करना।

3. मार्गदर्शी सिद्धान्त

बाल संरक्षण समिति के कार्य, गतिविधियां, भूमिका एवं दायित्व कुछ विशेष, मूलभूत एवं सर्वव्यापक मानकों से निर्देशित होंगे, जो इसके मार्गदर्शी सिद्धान्त कहलायेंगे। ये बाल अधिकारों के स्थापित सिद्धान्तों, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on the Rights of Child) एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (यथा—संशोधित 2006) तथा इससे संबंधित राज्य नियम के अन्तर्गत प्रावधानों पर आधारित हैं :—

3.1 बच्चों का संरक्षण परिवार का प्राथमिक दायित्व है।

बच्चों के पालन—पोषण, देखभाल, संरक्षण का प्राथमिक दायित्व जैविक माता—पिता का होगा। इस दायित्व को पूरा करने में समुदाय, सरकार एवं सिविल सोसाइटी सहयोग करेगी। अपवाद की स्थिति में यह दायित्व गोद लेने या पालक माता—पिता (Foster Parents) का भी हो सकता है। अतएव बच्चे से संबंधित हर निर्णय में उसके परिवार को शामिल किया जाना आवश्यक है, बशर्ते ऐसा करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं हो। परिवार (जैविक, गोद लेने वाला या पालन पोषण करने वाला) निश्चित रूप से अपनी देखरेख एवं संरक्षण में बच्चे को आवश्यक देखभाल, सहयोग एवं संरक्षण उपलब्ध कराने के प्रति उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में अथवा किसी न्यायिक प्रक्रिया या कार्यपालिका द्वारा पारित आदेश के कारण कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई हो। बाल संरक्षण समिति ऐसे सभी परिवारों को जो विषम परिस्थिति में हैं या जिनकी सुरक्षा आशंकित है, की यथासंभव सहायता करेगी।

3.2 स्नेह एवं देखभाल प्रदान करने वाला परिवार ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम स्थान है।

बच्चों की सबसे अच्छी देखभाल उनके अपने परिवार में होती है, और उन्हें पारिवारिक देखभाल एवं माता—पिता दोनों के स्नेह व अभिभावकत्व पाने का अधिकार है। बाल संरक्षण समिति यथासंभव सुनिश्चित करेगी कि बच्चे अपने माता—पिता से अलग नहीं हों, और अलग होने की स्थिति में वे पुनः परिवार में पुनर्संमेलित हो जाएं, बशर्ते कि बच्चों का सर्वोत्तम हित या कोई न्यायिक आदेश जैसा कोई अन्य मामला नहीं हो।

3.3 बच्चों से संबंधित मामलों में निजता एवं गोपनीयता का ख्याल निश्चित तौर पर रखा जाना चाहिए।

बच्चों के मामले से संबंधित सभी कामकाज एवं सेवा उपलब्ध कराने के प्रत्येक स्तर पर बाल संरक्षण समिति के सदस्य बच्चों की निजता एवं गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करेंगे। उदाहरण के तौर पर पंचायत में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला एच0आइ0वी0 ग्रस्त कोई बच्चा हो सकता है, और यदि ऐसे बच्चे के पहचान का खुलासा कर दिया जाए तो संभव है कि परिवार या बच्चे को वंचना या लांछन का सामना करना पड़े।

3.4 लांछन नहीं लगाना एवं भेदभाव नहीं करना।

सामाजिक—आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा नस्लीय पृष्ठभूमि चाहे जो कुछ भी हो, हर बच्चे के साथ समान एवं सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। बाल संरक्षण समिति के सदस्य किसी ऐसे शब्द, अभिव्यक्ति या आचरण का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बच्चे को उसकी जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, भाषा, शारीरिक या मानसिक योग्यता इत्यादि के पहचान के आधार पर लांछित करता हो या उसके साथ भेदभाव करता हो। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी हरकतें यदि कहीं हो तो उसे रोका जाय।

3.5 बाल संरक्षण परिणामों के केंद्र में असुरक्षा की रोकथाम एवं उनमें कमी होनी चाहिए।

बाल संरक्षण समिति का कार्य मुख्य रूप से बच्चों की देखभाल एवं उनके संरक्षण हेतु परिवार की क्षमता को मजबूत करने पर केन्द्रित होगा।

3.6 बच्चों का सांस्थानीकरण अन्तिम उपाय है।

बाल संरक्षण समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारिवारिक देखभाल से वंचित बच्चों को समुदाय के अंदर ही पुनर्वासित किया जाए। बाल संरक्षण समिति को अनाथ या किसी अन्य कारण से पारिवारिक संरक्षण से वंचित बच्चों को उनके विस्तारित परिवार में ही पुनर्वासित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे बच्चों को समिति विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से जोड़ सकती है। अन्य सभी विकल्पों की तलाश कर लेने के बाद ही अंतिम विकल्प के रूप में बच्चे को किसी आवासीय संस्थान के सुपुर्द करना चाहिए। इलाज या विशेष देखभाल या संरक्षण के लिए बच्चे को सिर्फ अस्थायी अवधि के लिए ही किसी संस्था के हवाले करना चाहिए।

3.7 बाल केंद्रित योजना।

बाल संरक्षण समिति द्वारा तैयार की गई बाल संरक्षण योजना बाल केंद्रित होनी चाहिए। योजना तैयार करते समय विभिन्न आयु वर्ग एवं समुदाय के बच्चों के साथ परामर्श एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। योजना का मुख्य लक्ष्य शोषण से बच्चों की असुरक्षा को कम करने, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिती की दर को बढ़ाने, बच्चों के लिए अहितकर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रचलनों को रोकने, बाल विवाह, बाल श्रम आदि के प्रतिषेद्य एवं बच्चों के एकल पलायन को रोकने जैसे मुद्दों पर होना चाहिए।

3.8 तकनीकी उत्कृष्टता एवं प्रतिबद्धता वाले कुशल सदस्य।

बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का मनोनयन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि बाल संरक्षण समिति में सिर्फ वैसे सदस्यों का ही मनोनयन हो जिनकी योग्यता प्रमाणित हो और जो बच्चों के मुद्दों एवं अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों तथा जिनके विरुद्ध किसी भी रूप में बच्चों के खिलाफ कोई अपराध करने का आरोप नहीं लगा हो।

3.9 लचीला कार्यक्रम जो स्थानीय और वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

बाल संरक्षण समिति को कोई कठोर (Rigid) योजना नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसे योजना बनाने एवं कार्यक्रमों को लागू करते समय स्थानीय जरूरतों एवं उपलब्ध साधनों का ख्याल रखना चाहिए।

3.10 सुशासन, जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व।

पंचायत समेत किसी भी स्तर पर एक कुशल एवं प्रभावी बाल संरक्षण प्रणाली के लिए पारदर्शी प्रबंधन एवं निर्णय प्रक्रिया तथा जवाबदेह एवं उत्तरदायी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सेवा प्रदान करने के सभी स्तरों पर सभी संबंधित प्रतिवेदन एवं आवश्यक कागजातों का संधारण (रख-रखाव) आवश्यक है, ताकि बच्चों को वांछित जानकारियाँ सुलभता से प्राप्त हों।

खण्ड -ख

बाल संरक्षण समितियों की संरचना एवं गठन की प्रक्रिया

4. प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना

प्रखंड दो या दो से अधिक पंचायतों की प्रशासनिक इकाई है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंड स्तर पर सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुश्रवण में प्रखंड स्तर पर गठित पंचायत समिति अहम् भूमिका अदा करती है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन का प्रावधान है। इसकी संरचना निम्नवत है:

क्रम संख्या	प्रस्तावित सदस्य	प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति	महिलाओं के लिए आरक्षित	पदनाम
1	प्रमुख (पंचायत समिति अध्यक्ष)	1		अध्यक्ष
2	ग्रामीण विकास पदाधिकारी (आर०डी०ओ०)	1		सह-अध्यक्ष
3	उप प्रमुख	1		उपाध्यक्ष
4	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी०डी०पी०ओ०)	1		संयोजक / सदस्य-सचिव
5	सभी जिला परिषद् सदस्य			सदस्य
6	पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के सभी अध्यक्ष (सभी ग्राम पंचायत के मुखिया)			सदस्य
7	सभी पंचायत समिति सदस्य			सदस्य
8	जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि	1		सदस्य
9	पुलिस प्रतिनिधि (किशोर-सह-बाल कल्याण पदाधिकारी के पद पर नामित पुलिस पदाधिकारी) (जिले में एस०जे०पी०य० के डी०एस०पी० (मुख्यालय) के द्वारा मनोनीत किया जाएगा।)	1		सदस्य
10	प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी (बी०एम०ओ०)	1		सदस्य
11	प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी	1		सदस्य
12	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बी०इ०ओ०)	1		सदस्य
13	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	1		सदस्य
14	बाल प्रतिनिधि (12-18 वर्ष) (प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति की प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के दो बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रखंड के सभी पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रतिनिधित्व का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह आमंत्रण चक्रीय आधार पर दिया जाएगा)	2	1	सदस्य
15	चाइल्डलाइन प्रतिनिधि	1		सदस्य
16	बाल संरक्षण (मनोनीयन में प्राथमिकता) या बाल शिक्षा / स्वास्थ्य / कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था / सिविल सोसायटी संगठन आदि के प्रतिनिधि	2	1	सदस्य

17	प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति (अध्यक्ष / सह—अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
	कुल	17+जिला परिषद् सदस्य +ग्राम पंचायत के मुखियागण एवं सरपंच	2	

समिति द्वारा आहूत बैठक में अध्यक्ष द्वारा बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद् के सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। बाल संरक्षण समिति के किसी सदस्य या नामित पदाधिकारी को समिति के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए कोई विशेष मानदेय या पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। हालांकि जिला बाल संरक्षण इकाई बैठक करने एवं अपने कामकाजों को निष्पादित करने के लिए बाल संरक्षण समिति को व्यवस्था संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड स्तर की बैठकों या जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा जिला मुख्यालय में आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए बच्चों, उनके माता—पिता या बाल संरक्षण समिति के दूसरे सदस्यों के यात्रा व्यय का भुगतान करने पर भी विचार कर सकती है।

5. पंचायत-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना

ग्राम पंचायत त्रि—स्तरीय विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के अंतर्गत सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। पंचायत में दो या दो से अधिक राजस्व गाँव होते हैं तथा मुखिया इसके प्रमुख निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। पंचायत—स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना निम्नवत है :

क्रम संख्या	प्रस्तावित सदस्य	पंचायत बाल संरक्षण समिति	महिलाओं के लिए आरक्षित	पदनाम
1	पंचायत के मुखिया	1		अध्यक्ष
2	पंचायत के उप मुखिया	1		उपाध्यक्ष
3	आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका (सीडीपीओ द्वारा मनोनीत)	1	1	संयोजक / सदस्य— सचिव
4	सरपंच	1		सदस्य
5	संबंधित पंचायत के पंचायत समिति सदस्य	1 अथवा 2		
6	सभी वार्ड सदस्य		महिला वार्ड सदस्य	सदस्य
7	स्कूल शिक्षक (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
8	ए०एन०एम०	1	1	सदस्य
9	विकास मित्र (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
10	आंगनवाड़ी सेविका (आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1	1	सदस्य
11	किशोरी समूह/सबला एवं मीना मंच/बाल संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले बाल प्रतिनिधि (12—18 वर्ष), जो इन समूहों द्वारा मनोनीत किए जाएँगे। यदि ऐसे समूह कार्यरत नहीं हों तो माध्यमिक विद्यालय/उच्च विद्यालय के प्राचार्य द्वारा मनोनीत बाल प्रतिनिधि।	3	1	सदस्य

12	कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति) के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	2	1	सदस्य
13	समुदाय के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	2	1	सदस्य
14	चौकीदार (स्थानीय पुलिस थाना के किशोर—सह—बाल कल्याण पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
15	समुदाय आधारित संगठन / स्वयंसेवी संस्था / महिला स्वयं सहायता समूह (सचिव से मंत्रणा कर अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	2	1	सदस्य
	कुल	19–20 + सभी वार्ड सदस्य	7+ महिला वार्ड सदस्य	

नोट : प्रखंड—स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला—स्तरीय बाल संरक्षण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य पंचायत—स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। पंचायत के विभिन्न गांवों में स्थित सेवा प्रदाता निकायों के सभी इकाईयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इन निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, जैसे, ए०एन०एम०, आंगनवाड़ी सेविका तथा स्कूल शिक्षक को चक्रीय आधार पर समिति का सदस्य बनाया जाएगा।

6. वार्ड—स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना

शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन तंत्र के अंतर्गत नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत की व्यवस्था है। विकेन्द्रीकृत शासन के ये निकाय कई वार्डों से मिलकर बने होते हैं। वार्ड—स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना निम्नवत है :

क्रम संख्या	प्रस्तावित सदस्य	वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति	महिलाओं के लिए आरक्षित	पदनाम
1	वार्ड सदस्य (पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	1		अध्यक्ष
2	पंच	1		उपाध्यक्ष
3	आंगनवाड़ी सेविका (आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1	1	संयोजक / सदस्य – सचिव
4	स्कूल शिक्षक (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
5	टोला सेवक (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
6	आशा कार्यकर्ता	1	1	सदस्य
7	किशोरी समूह/सबला एवं मीना मंच/बाल संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले बाल प्रतिनिधि (12–18 वर्ष), जो इन समूहों द्वारा मनोनीत किए जाएँगे। यदि ऐसे समूह कार्यरत नहीं हों तो माध्यमिक विद्यालय/उच्च विद्यालय के प्राचार्य द्वारा मनोनीत बाल प्रतिनिधि।	2	1	सदस्य

8	स्कूल प्रबंधन समिति से माता/पिता (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		
9	वंचित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति) के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	2	1	सदस्य
10	समुदाय आधारित संगठन / स्वयं सेवी संस्था / महिला स्वयं सहायता समूह (सचिव से मन्त्रणा कर अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत) के प्रतिनिधि	2	1	सदस्य
11	समुदाय के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
12	चौकीदार (स्थानीय पुलिस थाना के किशोर-सह-बाल कल्याण पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
	कुल	15	6	

नोट : जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य एवं चाईल्ड लाइन के प्रतिनिधि को वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठकों में विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। वार्ड में स्थित सेवा प्रदाता निकायों, जिनकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय शिक्षक, समुदाय आधारित संगठन / स्वयं सहायता समूह के सदस्य आदि को चक्रीय आधार पर समिति का सदस्य बनाया जाएगा।

7. प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया

- 7.1 जिलाधिकारी, जो जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रशासकीय प्रमुख और जिला बाल संरक्षण समिति के सह-अध्यक्ष होते हैं, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंडों में दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन एवं सदस्यों के मनोनयन के लिए पत्र जारी करेंगे। ऐसी समितियों के गठन एवं बाल संरक्षण के मामले में उनकी अहमियत की जानकारी देने के लिए पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा अन्य को भी भेजी जाएगी।
- 7.2 जिला बाल संरक्षण इकाई गठन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपनी ओर से भी जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्र की प्रति के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को फॉलो-अप पत्र भेजेगा। यदि संभव हो तो जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कामकाजों की जानकारी देने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं पंचायत समिति के अध्यक्षों के साथ अलग-अलग बैठक करेगी।
- 7.3 प्रखण्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी की जायेगी।
- 7.4 अधिसूचना जारी होने के दो माह के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
- 7.5 जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की पहली बैठक आयोजित करने तथा समिति की सूची के साथ-साथ बैठक की कार्यवाही का विवरण मांगने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र लिखेगा।
- 7.6 प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की पहली बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि सामान्य रूप से बाल संरक्षण एवं विशेष रूप से समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के बारे में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे।

बैठक में सदस्यों को प्रखंड से जुड़े बाल संरक्षण के सवालों की ओर उन्मुख भी किया जाएगा और बताया जाएगा कि प्रखंड के बच्चों के संरक्षण के ढांचे को मजबूत करने में प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति किस तरह अहम् भूमिका अदा कर सकती है।

- 7.7 जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंडवार बाल संरक्षण समिति के सभी सदस्यों के नामों एवं संपर्क विवरणों को अपलोड करेगी।
- 7.8 इस्तीफा, अयोग्य करार दिए जाने अथवा किसी सदस्य के निधन के कारण कोई रिक्ति होने की स्थिति में संबद्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा ऐसी रिक्तियों को भरा जाएगा।

8. पंचायत एवं वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया

- 8.1 जिला बाल संरक्षण इकाई, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखण्ड के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों एवं पंचायत के अधीन आने वाले सभी वार्डों में पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का मनोनयन, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करने एवं समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र निर्गत करेगा। इस पत्र की एक प्रति राज्य बाल संरक्षण समिति को भी भेजी जाएगी।
- 8.2 प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य—सचिव हैं, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पंचायत प्रमुखों (मुखिया) को दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बद्ध पंचायतों एवं वार्डों में पंचायतस्तरीय एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र निर्गत करेंगे। विशेष तौर पर समिति के सदस्यों का मनोनयन करने का अनुरोध करते हुए इस पत्र की प्रति प्रखंड में संबंधित विभागों के नॉडल पदाधिकारी को भी भेजी जाएगी।
- 8.3 पंचायत प्रमुखों को पत्र एवं दिशा-निर्देश भेजने के साथ ही प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति (या जिन प्रखंडों में प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई) दिशा-निर्देश के अनुसार समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए उत्तरदायी सभी पंचायत प्रमुखों एवं प्रखंड के अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया, समिति के कार्य तथा सदस्यों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में प्रखंडस्तरीय उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्मुखीकरण की प्रक्रिया में बाल संरक्षण समिति गठित करने, सामाजिक मुद्दों या बच्चों से जुड़े सवालों पर सामुदायिक गतिशीलता (Community Mobilisation) का अनुभव रखने वाले जिले या प्रखंड के स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी ली जा सकती है।
- 8.4 बाल संरक्षण समिति के गठन के पूर्व पंचायत के मुखिया बाल संरक्षण समिति के गठन, उसके कामकाज और समिति किस तरह बच्चों की जिंदगी में सार्थक भूमिका अदा करेगी, इसकी जानकारी देने के लिए अपने पंचायत में प्रस्तावित सदस्यों के साथ बैठक करेंगे।
- 8.5 पत्र/अधिसूचना जारी होने के एक माह के अंदर पंचायत के मुखिया दिशा-निर्देशों के अनुसार समिति का गठन करेंगे। वे बाल संरक्षण समिति के गठन की सूचना एवं समिति के सदस्यों के नाम एवं संपर्क के विवरण की जानकारी प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को देंगे।
- 8.6 जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंडवार बाल संरक्षण समिति के सभी सदस्यों के नामों एवं संपर्क विवरणों को संबंधित जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- 8.7 किसी सदस्य के इस्तीफा, अयोग्य करार दिए जाने अथवा आकस्मिक निधन के कारण कोई रिक्ति होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा ऐसी रिक्तियों को भरा जाएगा।

9. शहरी क्षेत्रों में वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया

- 9.1 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से नगर निगम/नगर पंचायत/नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र द्वारा संबंधित दिशा—निर्देशों के अनुसार वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन हेतु अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया जायेगा।
- 9.2 नगर निगम/नगर पंचायत/नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से समिति के गठन एवं सदस्यों की भूमिका से संबंधित दिशा—निर्देशों एवं अधिसूचना को संलग्न कर वार्ड के सभी निर्वाचित पार्षदों को अनुरोध पत्र जारी किया जायेगा। इस पत्र की एक प्रति मेयर को एवं दूसरी प्रति जिले में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारी को समिति के सदस्यों के मनोनयन हेतु भेजी जायेगी।
- 9.3 बाल संरक्षण समिति के गठन के पूर्व जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सभी वार्ड सदस्यों एवं संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारियों, शहरी क्षेत्र में कार्यरत एवं बच्चों के मुददों पर कार्य करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
- 9.4 अधिसूचना जारी होने के एक माह के अंदर वार्ड पार्षदों द्वारा अपने—अपने वार्ड में दिशा—निर्देशों के अनुसार बाल संरक्षण समिति का गठन किया जायेगा। वे बाल संरक्षण समिति के गठन की सूचना एवं समिति के सदस्यों के नाम एवं संपर्क के विवरण की जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई को देंगे।
- 9.5 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन से संबंधित दिशा—निर्देश, समिति के कार्य, अध्यक्ष एवं सदस्यों की भूमिकाएँ, नाम एवं संपर्क विवरणी को जिला एवं नगर निगम/नगर पंचायत/नगर परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
- 9.6 किसी सदस्य के इस्तीफा, अयोग्य करार दिए जाने अथवा आकस्मिक निधन के कारण कोई रिक्ति होने की स्थिति में किसी सदस्य के संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा ऐसी रिक्तियों को भरा जाएगा।

खण्ड -ग

बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष/सदस्य की अयोग्यता का आधार एवं उनके कार्य

10. बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की अयोग्यता का आधार

(क) किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं माना जाएगा, यदि वह:

- किसी कानून के अधीन दोष सिद्ध किया गया हो;
- कभी भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, या बाल मजदूरी, या किसी अन्य मानवाधिकारों के हनन अथवा अनैतिक कार्य जैसे मामलों में स्वयं लिप्त रहा हो या इसके लिए उकसाया हो।

(ख) बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को निम्न आधार पर अयोग्य करार दिया जाएगा :

- यदि यह पाया गया कि उन्होंने किसी बच्चे को काम पर रखा है।
- यदि उनके द्वारा किसी बच्चे का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक शोषण किए जाने की सूचना होगी या उनके द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को उकसाने की सूचना होगी और यदि जांच में आरोप प्रथम दृष्ट्या सही साबित पाया गया हो।
- यदि सदस्य विक्षिप्तता या मानसिक अस्वस्थता के कारण अपना काम निष्पादित करने में अक्षम हो।

समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध गंभीर आरोप या शिकायत होने की स्थिति में, उसके खिलाफ जांच पूरी होने तक वह बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। जांचोपरांत निष्कर्ष के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। जांच के लिए बाल संरक्षण समिति अपने सदस्यों के बीच से एक पांच सदस्यीय उप-समिति का गठन करेगी जो एक माह के अंदर जांच पूरा करेगी और बाल संरक्षण समिति को अपनी रिपोर्ट देगी। जांच समिति संबंधित सदस्य को अपने उपर लगे आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराएगी। जांच के निष्कर्षों पर विचार करने के लिए बाल संरक्षण समिति अपनी आपात बैठक करेगी और तदनुरूप आवश्यक निर्णय लेगी। बाल संरक्षण समिति इस काम में जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद भी ले सकती है।

11. बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्य

1. अध्यक्ष

- बाल संरक्षण समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- बराबरी (टाई) की स्थिति में निर्णयक मत देना।
- सचिव की अनुपस्थिति में उनका कार्य करना।
- सुनिश्चित करना कि सभी रिपोर्ट उनके हस्ताक्षर के साथ समय पर भेज दी जाए।

- सुनिश्चित करना कि बाल प्रतिनिधियों को पूरी आजादी एवं आत्म-विश्वास के साथ अपनी बात रखने का मौका मिले (बाल संरक्षण समिति के बाकी सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का भी बाल प्रतिनिधियों के प्रति यह दायित्व है)।

2. उपाध्यक्ष :

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को संपादित करना।

3. सचिव / संयोजक

- आवधिक बैठकें आहूत करना।
- बैठक के पहले बैठक की कार्यसूची के साथ बैठक की सूचना, पत्र द्वारा या अन्य माध्यमों से सभी सदस्यों को भेजना।
- बैठक की कार्यवाही को लिखना एवं सदस्यों की उपस्थिति को रिकॉर्ड करना।
- संबंधित अधिकारियों को बाल संरक्षण समिति की ओर से अध्यक्ष के माध्यम से पत्र, रिपोर्ट आदि भेजना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला बाल संरक्षण समिति से प्राप्त प्रत्येक सूचना से बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को अवगत कराना।
- अगर कोई सदस्य बैठक में लगातार अनुपस्थित रह रहा हो तो उसे नोटिस भेजना तथा अन्य सदस्यों को ऐसी अनुपस्थिति की जानकारी देना।

4. बाल प्रतिनिधि

- बाल संरक्षण समिति की बैठक के पहले पंचायत/गांव के बाल संरक्षण के संभावित मुद्दों/कार्यसूची के बारे में अन्य बच्चों के साथ बैठक करना।
- बैठक में भाग लेना एवं पंचायत या गांव के बच्चों के लिए बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाना।
- वे किसी ऐसे व्यक्तिगत मामलों को भी रख सकते हैं, जिस पर उन्हें बाल संरक्षण समिति के हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हो रही हो।

खण्ड - घ

बाल संरक्षण समितियों के कार्य एवं बैठक से संबंधित प्रक्रिया

12. प्रखण्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य

- प्रखण्ड स्तर पर सजग प्रहरी के तौर पर काम करना तथा बाल संरक्षण सेवाओं का अनुश्रवण करना।
- 'देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे' एवं 'विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे' की श्रेणी में आने वाले बच्चों की स्थिति पर प्रखण्ड की जरूरत का आकलन रिपोर्ट तैयार करना। इस संबंध में आंकड़ा विहित प्ररूप में एकत्र किया जाना चाहिए।
- बच्चों के खिलाफ भेदभाव, दुर्व्यवहार, हिंसा, दमन के मामलों की एक निश्चित समयावधि में जांच करना तथा जांच निष्कर्षों की रिपोर्ट एवं अनुशंसाएं संबंधित अधिकारियों को सौंपने के साथ इसकी एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी देना।
- आवश्यकता आकलन रिपोर्ट तैयार करने में पंचायत-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि पंचायत एवं वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समितियां अपनी बैठक नियमित रूप से करें एवं अपनी रिपोर्ट को सुझावों / कार्य के बिंदुओं के साथ प्रखण्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के साथ साझा करें।
- ऐसे मामलों में दखल देना, जहां समिति को लगे कि पंचायत या वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा उठाए गए किसी मामले में सेवा उपलब्ध कराने को लेकर सेवा प्रदाता निकायों जैसे पुलिस थाना, शिक्षा कार्यालय, पी0एच0सी0 या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं की गयी है।
- प्रखण्ड में परवरिश योजना के कार्यान्वयन की अनुश्रवण करना तथा अगर कोई बाधा हो तो उसे दूर करना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से पंचायत या वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के सदस्यों के लिए क्षमता सृजन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

13. पंचायत-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य

बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं यथोचित पोषण के प्रति बाल अधिकारों की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहुँच गांवों में रह रहे सभी बच्चों तक है। सरकार यह काम सेवा प्रदान करने वाले निकायों जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्रों, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए करती है। बच्चों को ए0एन0एम0 / आशा कार्यकर्त्ताओं, स्कूल शिक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के जरिए इन केंद्रों की सेवाएं मिलती हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए किसी भी रूप में हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार इत्यादि से बच्चों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण। ये मुद्दे पारस्परिक रूप से जुड़े हैं और इन्हें अलग-अलग कर नहीं देखा जा सकता। परन्तु बाल संरक्षण के क्षेत्र में पंचायत-स्तर पर मुख्य रूप से जिम्मेदार किसी सेवा प्रदाता संस्था या किसी विशेष कर्मचारी / प्रतिनिधि के नहीं होने से संरक्षण के सवालों एवं संबंधित सेवाओं की उपेक्षा हो जाती है। इसलिए बाल संरक्षण के मुद्दों से निपटने एवं विकट स्थिति में फंसे बच्चे या दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण के शिकार बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना अथवा दूसरे शब्दों में बच्चों के संरक्षण अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति से निपटने के लिए पंचायत-स्तर पर बाल संरक्षण समिति एक औपचारिक मंच के रूप में समुदाय को

स्वयं ही अपने आप को संगठित करना होगा। इस तरह बाल संरक्षण समिति पंचायत में एक बाल—अनुकूल माहौल तैयार करने में बहुआयामी भूमिका निभा सकती है, ताकि बच्चों को उनके अधिकारों की गारंटी हो तथा उनके उल्लंघन की स्थिति में उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पंचायत—स्तरीय बाल संरक्षण समिति की अपेक्षित भूमिका एवं कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है। यह अपेक्षित कार्यों की महज एक प्रस्तावित सूची है, न कि समग्र व विस्तारित सूची। बच्चों के सर्वोत्तम हित में ऐसा कोई भी कार्य जो सुनिश्चित करता हो कि उसके कार्यान्वयन में बाल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उसे करने को बाल संरक्षण समिति स्वतंत्र है :

- पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण के सजग प्रहरी के तौर पर काम करना तथा बाल संरक्षण संबंधी सेवाओं की अनुश्रवण करना।
- संबंधित पंचायत में बाल संरक्षण की स्थिति में सुधार के उपायों की अनुशंसा करना।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों तथा बाल विवाह, बाल श्रम, बाल व्यापार, बालिका भ्रूण हत्या आदि से संबंधित बाल संरक्षण कानूनों के समुचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रणनीति बनाना।
- बच्चों के हित के लिए समुदाय आधारित संसाधनों को सुदृढ़ करना।
- बाल संरक्षण को लक्ष्य में रखकर गांव या समुदाय आधारित योजना को स्वयं या किसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन या जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद से तैयार करना।
- विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों एवं उनके परिवारों की पहचान करना तथा इसे जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ साझा कर ऐसे बच्चों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं (जैसे परवरिश) के अंतर्गत सहायता के लिए प्रयास करना।
- पंचायत के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर बच्चों की पहुँच के अंदर शिकायत—सह—सुझाव पेटी रखना तथा इन पेटियों से निमीली शिकायतों/सुझावों पर बैठक में विचार करना।
- आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कर जिला आवश्यकता आकलन (District Need Assessment) एवं स्थितियों के विश्लेषण में जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद करना।
- पंचायतस्तरीय संसाधन निर्देशिका तैयार करना।
- बाल संरक्षण से जुड़े मुददों पर टोलों एवं गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- स्थानीय पुलिस थाना के साथ बैठक करना तथा पुलिस को गुमशुदा बच्चों, बाल विवाह की घटनाओं, जबरन या बंधुआ मजदूरी, किसी बाल व्यापारी की संदिग्ध आवाजाही या बच्चे की सुरक्षा के लिए खतरनाक किसी व्यक्ति के बारे में या बाल दुर्व्यवहार या हिंसा की घटनाओं की जानकारी देना।
- बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं बाल संरक्षण अधिकारों के लिए नुकसानदेह परस्पर विरोधी सामाजिक रीति—रिवाजों या नियमों के बीच मध्यस्थता करना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई तथा जिलास्तर के दूसरे नोडल विभागों के जिलास्तरीय निकायों के साथ नेटवर्क एवं संबंध स्थापित करना।
- वार्ड एवं पंचायतों में जहाँ और जब जरूरी हो कार्यक्रमों के आयोजन अथवा योजना के कार्यान्वयन में जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों को मदद उपलब्ध कराना।
- प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति या जिलास्तरीय बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आहूत बैठकों में भाग लेना।
- वार्ड से बच्चों के पलायन करने, विशेषकर अकेले जाने का रिकॉर्ड रखने में पंचायत की मदद करना।
- वार्ड/पंचायत को बच्चों के लिए मित्रवत गांव/पंचायत बनाने की दिशा में काम करना।

14. वार्ड—स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य

- वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण के सजग प्रहरी के तौर पर काम करना तथा बाल संरक्षण सेवाओं की अनुश्रवण करना।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (2006 के संशोधन के अनुसार) के तहत देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की स्थिति पर गांव की जरूरतों का आकलन रिपोर्ट तैयार करना।
- सर्वाधिक बदहाल स्थिति वाले बच्चों की पहचान तथा वार्ड में बच्चों के लिए मौजूद सेवाओं का खाका बनाना या मैपिंग करना।
- बाल संरक्षण से जुड़े विषयों पर कार्रवाई हेतु मौजूदा तंत्र एवं सेवाओं आदि के सवालों पर समुदाय, माता—पिता एवं बच्चों के लिए समय—समय पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों एवं माता—पिता को सशक्त बनाना ताकि वे किसी भी हिंसा, दुर्व्यवहार या समाज में

व्याप्त किसी नुकसानदेह सांस्कृतिक प्रचलनों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें।

- बाल विवाह, बाल व्यापार, बाल मजदूरी, बगैर किसी परिजन के साथ बच्चों का गांव से पलायन के खिलाफ सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना।
- अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को प्रोत्साहित करना।
- वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति में विचार किए गए सवालों की आवधिक रिपोर्ट पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति को देना तथा जो कोई सवाल उसे महत्वपूर्ण मालूम होता हो या जिस सवाल पर उसे पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के हस्तक्षेप की जरूरत महसूस होती हो उसकी ओर पंचायतस्तरीय समिति का ध्यान आकृष्ट करना।
- वार्ड बाल संरक्षण योजना तैयार करना एवं उसे जिला बाल संरक्षण इकाई को सौंपना।
- स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों, मजदूरी में लगे बच्चों, मजदूरी के लिए गांव से बाहर चले गए बच्चों की संख्या, गुमशुदा बच्चों आदि का रिकार्ड विहित प्ररूप में रखना।
- लिंग आधारित गर्भपात, बाल विवाह, लड़कियों के साथ भेदभाव, परिवार एवं स्कूल में शारीरिक दंड / प्रताड़ना आदि जैसे नुकसानदेह प्रचलनों को रोकना तथा निरुत्साहित करना।
- जन्म पंजीकरण, आधार कार्ड पंजीकरण, स्कूल में दाखिला, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का दाखिला, बच्चों खासकर बालिकाओं को स्कूल भेजने आदि जैसे अच्छे प्रचलनों को बढ़ावा देना।
- बच्चे को फिर से परिवार के साथ जोड़े जाने वाले मामलों में आगे की कार्रवाई (Follow up) में जिला बाल संरक्षण इकाई या पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति की मदद करना।
- बच्चों को गांव में विद्यमान विभिन्न मंचों पर अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध कराकर निर्णय प्रक्रिया में बच्चों को शामिल कराना ताकि गांव में बच्चों की भागीदारी मजबूत बने।
- बच्चों एवं बाल संरक्षण के हित वाले कार्यों को करना।
- पंचायत / प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समय-समय पर दिए गए कार्यों को करना।

15. बाल संरक्षण समिति द्वारा बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया

15.1 बाल संरक्षण समिति की बैठकों के लिए कोरम: बैठक में बाल संरक्षण समिति के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

15.2 बैठक स्थल: पंचायत-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठकें पंचायत भवन के कार्यालय में आयोजित होंगी या फिर अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाली किसी अन्य जगह पर होगी। बाल संरक्षण समिति का कार्यालय पंचायत भवन में रहेगा। वार्ड-स्तरीय एवं वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के मामले में बैठकें गांव के स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र में सामान्य कामकाज के बाद की अवधि में होगी। प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति अपनी बैठकें पंचायत समिति भवन या प्रखंड मुख्यालय में उपयुक्त समझे जाने वाले किसी जगह पर आयोजित करेगी।

15.3 बाल संरक्षण समिति की बैठकों की प्रक्रिया :

15.3.1 प्रखण्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति तिमाही बैठक करेगी अर्थात् हर तीन महीने के बाद अथवा बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष जब कभी उपयुक्त समझेंगे। परन्तु यह स्पष्ट हो कि दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन महीने से अधिक का नहीं होगा। उपयुक्त समझे जाने पर अध्यक्ष समिति की आपात बैठक भी बुला सकते हैं।

पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा मासिक बैठक बुलायी जायेगी अथवा बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष जब कभी उपयुक्त समझेंगे। परन्तु यह स्पष्ट हो कि दो बैठकों के बीच का अंतराल तीस दिनों से अधिक का नहीं होगा। उपयुक्त समझे जाने पर अध्यक्ष समिति की आपात बैठक भी बुला सकते हैं।

15.3.2 बैठक की अध्यक्षता बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष करेंगे / करेंगी। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे / करेंगी।

15.3.3 बैठक की कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज की जाएगी और बैठक में उपस्थित सभी सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

15.3.4 बैठक की कार्यवाही को बैठक समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र या दूसरी बैठक के पहले, सदस्यों की स्वीकृति और पुष्टि के लिए बैठक में उपस्थित सदस्यों के सामने रख जाएगा।

सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाने की कोशिश की जाएगी। किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में बाल संरक्षण समिति बहुमत के आधार पर निर्णय लेगी। अगर दो अलग—अलग तरह की राय या दृष्टिकोण के समर्थन में बराबर—बराबर सदस्य रहेंगे तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैठक में लिया गया निर्णय बैठक में अनुपस्थित सदस्यों के लिए भी बाध्यकारी होगा।

खण्ड - डं

विविध

16. अनुश्रवण की क्रियाविधि

- 16.1 जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड स्तर की बाल संरक्षण समितियों द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने के लिए मानक प्ररूप तैयार करेगा।
- 16.2 वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति इस प्ररूप को भरकर पंचायत-स्तरीय समिति को और पंचायत-स्तरीय समिति प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति को रिपोर्ट देगी। वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा विहित प्ररूप में रिपोर्ट तैयार कर जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी। इस रिपोर्ट की एक प्रति निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी सूचनार्थ भेजी जायेगी।
- 16.3 प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति हर तिमाही पर अपनी रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण समिति को भेजेगी।
- 16.4 संवेदीकरण कार्यक्रमों के बारे में बात करने एवं कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई गांवों, प्रखंडों एवं वार्डों का दौरा करेगा।
- 16.5 बच्चों के साथ दुर्घटनाकालीन स्थिति के बारे में जांच के लिए सक्षम प्राधिकार के सदस्य भी जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों के साथ जा सकते हैं।
- 16.6 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति, पंचायत एवं वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के सदस्यों के नाम एवं उनके संपर्क विवरण का रिकार्ड रखा जायेगा। इन विवरणों को जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाएगा।
- 16.7 किन क्षेत्रों में काम करना है और किस तरह की कार्रवाई करनी है, इसकी पहचान के लिए बाल संरक्षण समितियों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाएगा और जरूरत हुई तो उपयुक्त अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं के पास मामले को रेफर किया जाएगा।

17. सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन

बाल संरक्षण समितियों का एक बार गठन हो जाने के बाद बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों, बाल संरक्षण समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में प्रशिक्षण/संवेदीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण समिति स्वयं या स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से क्षमता सृजन के

कार्यक्रम आयोजित करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई इन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण कार्यक्रमों को अपने प्रशिक्षण कैलेंडर एवं वार्षिक बाल संरक्षण योजना में शामिल करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को जानकारियों से अवगत कराने के लिए बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं एवं विषम परिस्थिति में रह रहे बच्चों को सहायता पहुंचाने वाली संस्थाओं के पास ले जाने पर भी विचार कर सकती है। साथ ही पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित जिला—स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। प्रशिक्षण / संवेदीकरण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कुछ प्रस्तावित विषय निम्नलिखित हैं:

- बाल अधिकार—बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन एवं भारत का संविधान;
- विषम परिस्थिति में रह रहे बच्चों के पहचान की पद्धति;
- पंचायत / गांवों में मौजूद संसाधनों एवं असुरक्षा का प्रतिचित्रण (मैपिंग);
- बाल संरक्षण की सुनिश्चितता हेतु योजना तैयार करना;
- रेफरल व्यवस्था एवं सेवा प्रदाताओं से संबंधित जानकारी;
- परवरिश, प्रायोजन एवं दत्तकग्रहण इत्यादि जैसी सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम;
- सदस्यों हेतु आचार संहिता आदि।

18. परितोषिक एवं सम्मान

जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए कम से कम दो इकाईयों का चयन निर्धारित सूचकों / मानकों के आधार पर पुरस्कृत करने के लिए करेगी। पुरस्कार के रूप में इकाई द्वारा समितियों को सामग्रियां एवं उपस्कर (logistics) प्रदान की जा सकती है, ताकि इन समितियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन आगे और बेहतर तरीके से करने में मदद हो। पुरस्कार के लिए चयन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा।

19. सदस्यों हेतु आचार संहिता

सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी सूची निम्नवत है:

करणीय	अकरणीय
क. बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें एवं उनका सम्मान करें, उन्हें सशक्त बनाएं, और यथासंभव उन्हें योजना एवं सेवा प्रदान करने के कामों में सहभागी बनाएं।	क. किसी बच्चे पर प्रहार या किसी तरह का शारीरिक दुर्घटना नहीं करें।
ख. समस्या पैदा करने वाली स्थितियों से अवगत हों एवं उनका निदान करें।	ख. किसी बच्चे के साथ शारीरिक / यौन संबंध नहीं बनाएं।
ग. सुनिश्चित करें कि सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व का भाव हो ताकि गलत प्रचलन या संभावित दुर्घटना जब कभी भी हो तो सदस्य उसका अवश्य विरोध करें।	ग. बच्चे के साथ ऐसे संबंध नहीं बनायें जो शोषणकारी या अपमानजनक हों।
घ. बच्चों से उनकी राय के महत्व के बारे में बात करें एवं अपनी बातें खुलकर रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें।	घ. ऐसा व्यवहार नहीं करें जिससे बच्चा किसी भी रूप में प्रताड़ित हो या प्रताड़ना / शोषण के शिकार होने की संभावना हो।
ड०. बच्चों को सशक्त बनाएं— उनके अधिकारों, क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य है, और समस्या आने पर वे क्या कर सकते हैं, इस बारे में उनसे बात करें।	ड०. गैरवाजिब, आघात पहुंचाने वाले या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करें या ऐसी सलाह नहीं दें।
च. बच्चों या बाल संरक्षण समिति के दूसरे सदस्यों द्वारा उठाए गए हर सवाल को गंभीरता से लें।	च. अनुपयुक्त या कामोत्तेजक तरीके से शारीरिक रूप से पेश नहीं आएं।
छ. दुर्घटना या असुरक्षा की जोखिम वाले बच्चों का	छ. बच्चों द्वारा किये गये ऐसे व्यवहार जो गैर कानूनी, असुरक्षित या दुर्घटनापूर्ण हों, उनकी ना ही अनदेखी करें और ना ही उनमें शामिल हों।

करणीय	अकरणीय
संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं।	झ. किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से पृथक करने वाला भेदभावपूर्ण अथवा विभेदकारी बर्ताव नहीं करें।
ज. बच्चों से संबंधित सभी कामों एवं निर्णयों में उनके सर्वोत्तम हित का ख्याल रखें।	ज. लिंग आधारित गर्भपात, बाल विवाह, शारीरिक दंड जैसे कृत्यों में ना ही हिस्सा लें ना बढ़ावा दें।
झ. बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता / देख-भाल करने वालों और / या दूसरे पेशेवर लोगों के साथ मिलकर काम करें।	ट. बच्चों से मजदूरी नहीं कराएं।

- (i) बाल संरक्षण समिति की बैठक की कार्यवाही संधारित करने का प्ररूप
- (ii) बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की उपस्थिति संधारित करने का प्ररूप
- (iii) ग्राम / वार्ड बाल संरक्षण योजना का प्ररूप
- (iv) बाल अधिकारों की असुरक्षा के परिचित्रण (मैटिंग) का प्ररूप
- (v) सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभान्वित बच्चों एवं उनके परिवार की जानकारी संधारित करने का प्ररूप
- (vi) पंचायत / गांव / वार्ड की रूपरेखा (प्रोफाइल) तैयार करने का प्ररूप
- (vii) मामला प्रबंधन (केस मैनेजमेंट) का प्ररूप

नोट:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

(बाल संरक्षण समिति की बैठक की कार्यवाही संधारित करने का प्ररूप)

बैठक संख्या..... बैठक की तिथि स्थान.....
 बैठक की कार्यवाही लिखने वाले व्यक्ति का नाम

पूर्व में उठाए गए मुद्दे एवं उस क्रम में हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति

- ऐसी घटना जिसमें बाल संरक्षण के अधिकारों का हनन हुआ है, या होने का खतरा है :
- क्या प्रगति हुई :
- आगे की अनुशंसा :

आज की बैठक की कार्यसूची :

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv) आदि

आज की बैठक में उठाए गए मुद्दे एवं जिनपर विचार हुआ

- ऐसी घटना जिसमें बाल संरक्षण के अधिकारों का हनन हुआ है, या होने का खतरा है: (पूछें कि क्या पिछली बैठक और इस बैठक के बीच गांव में बाल संरक्षण के उल्लंघन से जुड़े किसी घटना की सूचना मिली है)
- किस पर खतरा है?: (खतरे के बारे में पूछें, कब और कहाँ)

बाल संरक्षण समिति सचिव अध्यक्ष

बैठक संख्या बैठक की तिथि बैठक स्थल

समुदाय की स्वयं की क्षमता

(खतरे को कम करने के बारे में बाल संरक्षण समिति और समुदाय की क्षमता के बारे में चर्चा करें)

बाल संरक्षण समिति द्वारा सुझाया गया समाधान :

(समाधान के तौर पर विचार किए गए विकल्पों और खतरे को कम करने के लिए गए अंतिम निर्णय को लिखें)

अत्यावश्यक फॉलो—अप एवं कार्रवाई :

(खतरे को कम करने में बाल संरक्षण समिति/सामुदायिक संगठनकर्ता (Mobilizer)/स्वयंसेवी संस्था की भूमिका के बारे में लिखें)

बाल संरक्षण के किस मुद्दे पर आज सामुदायिक संगठनकर्ता (Mobilizer) द्वारा विमर्श किया गया :

(बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को जागरूक एवं संवेदी बनाने के लिए बाल संरक्षण के किसी एक मुद्दे पर उनके साथ विचार—विमर्श करें)

बाल संरक्षण समिति सचिव अध्यक्ष

(बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड)

बैठक संख्या.....बैठक की तिथि.....बैठक स्थल

क्रमांक	उपस्थित पुरुष सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	अनुपस्थित पुरुष सदस्यों के नाम	कारण
1		
2		
3		

क्रमांक	उपस्थित महिला सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	अनुपस्थित महिला सदस्यों के नाम	कारण
1		
2		
3		

बाल संरक्षण समिति सचिव.....अध्यक्ष

੩੦

ग्राम/वाडी बाल सरक्षण योजना

पाठ / वार्डः

સુધીન

२५

५८

परिणाम IV

बाल अधिकार असुरक्षा का परिचित्रण (मैपिंग) (हर 6 माह में अद्यतन किया जाएगा)

पंचायतः ग्राम / वार्डः

५२

३५६

ତିବିକୀ

असुरक्षा का वर्ग

कोड	असुरक्षा का वर्ग
10	कानून की शरण वाले बच्चे
11	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
12	नशासेवन करने वाले परिवार के बच्चे
13	नशा सेवन करने वाले बच्चे
14	यांत्रप्रताड़ित बच्चे
15	शारीरिक रूप से प्रताड़ित बच्चे
16	फुटपाथ के बच्चे
17	एचआईडी / एडसप्रस्त बच्चे
18	अन्य (उल्लेख करें)

असुरक्षा का वर्ग

कोड	असुरक्षा का वर्ग
01	स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे
02	जिन बच्चों का कभी दाखिला नहीं हुआ
03	शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे
04	बाल विवाह
05	बालश्रम
06	अनाथ
07	वैसे बच्चे जिनके मातापिता में एक ही हैं
08	प्राचीसी परिवार के बच्चे
09	बेसहारा बच्चे

୪୮

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित बच्चे एवं उनके परिवार

पाठ्य / वार्ता:

१५४

२५

١٦

ਪੰਜਿਆ VI

गांव / वार्ड का परिचय

गांव / वार्ड का परिचय					
गांव / वार्ड का नाम	पंचायत		जिला		
कुल परिवार		से दूरी	प्रखंड	जिला	थाना
कुल आबादी	पुरुष		महिला		
असुरक्षित परिवार	अजगा	ओवरी	सामाज्य	अल्पसंख्यक	अन्य
बच्चों की कुल आबादी	लड़के		लड़कियाँ		कुल
ग्रामस्तर पर सुविधाएं एवं सरक्षण					
संरक्षा	उपलब्ध (है / नहीं)	प्रभारी व्यक्ति	संपर्क	संस्था	उपलब्ध (है / नहीं)
आंगनवाड़ी केंद्र				अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	
ग्राइमरी सफूल				पुलिस थाना / चौकी	
अपर प्राइमरी सफूल				डाकघर	
मिडिल सफूल				धार्मिक संस्था / ए	
माध्यमिक सफूल				युवा कलब	
उच्चातर माध्यमिक सफूल				खेल कलब	
महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची एवं संपर्क					
क्रम संख्या	नाम	पदनाम	संपर्क नंबर	ई-मेल अगर हो	

केस प्रबंधन का प्रूप

गांव / वार्ड:

पंचायत:

प्रखंड

जिला:

केस नंबर

केस प्रबंधन की तिथि

सूचना देने वाले / शिकायतकर्ता का नाम एवं पता

बच्चे का विवरण (नाम, आयु, लिंग आदि)

केस का विवरण

हस्तक्षेप की योजना

पहले हस्तक्षेप की योजना
दूसरे हस्तक्षेप की योजना (फालो-अप-1)
तीसरे हस्तक्षेप की योजना (फालो-अप-2)

कार्रवाई की योजना

पहले हस्तक्षेप की योजना के अनुसार की गई कार्रवाई
दूसरे हस्तक्षेप की योजना (फालो-अप-1) के अनुसार की गई कार्रवाई
तीसरे हस्तक्षेप की योजना (फालो-अप-2)के अनुसार की गई कार्रवाई

मौजूदा स्थिति (यथासम्भव अधिक से अधिक जानकारी दे,
अंतिम बार अद्यतन किए गए की तिथि का उल्लेख करें)

टिप्पणी



सुरक्षित विकास समाज

राज्य बाल संरक्षण समिति

अपना घर, द्वितीय तल, ललित भवन के पीछे, पुनाईचक, बेली रोड, पटना- 800 023 (बिहार)
ई-मेल: scpsbihar@gmail.com, फोन नं०- 0612-2545033